



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1995 (ज्यैष्ठ 6, 1917)  
No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1995 (JYAISTHA 6, 1917)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 4 [PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राण लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 26 अप्रैल 1995

सं० 3 एन० सी० ए० (5)/3/94-95—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3 एन० सी० ए० (4)/3/89-90 दिनांक 9-11-89, 3-एन० सी० ए० (4)/2/93-94 दिनांक 7-3-94 4 सी० ए० (1)/2/76-77 दिनांक 5-3-77, 3 एन० सी० ए० (4)/4/92-93 दिनांक 11-1-93, 3 एन० सी० ए० (4)/2/90-91 दिनांक 16-11-90, 3 एन० सी० ए० (4)/3/92-93 दिनांक 27-11-92, 4 सी० ए० (1)/6/28-83 दिनांक 8-7-82, 3 एन० सी० ए० (4)/6/92-93 दिनांक 11-3-92, 3-ई० सी० ए० (4)/4/93-94 दिनांक 1-2-94, 3 सी० ए० ए० (4)/6/86-87 दिनांक 28-1-87, 3 सी० ए० (4)/6/93-94 दिनांक 1-12-93, 3 एन० सी० ए० (4)/5/85-86 दिनांक 20-3-86, 3 एन० सी० ए० (4)/10/83-84 दिनांक 3-3-84, 3 एन० सी० ए० (4)/5/92-93 दिनांक 29-1-93, 3 एन० सी० ए० (4)/3/91-92 दिनांक 14-2-92 और 3 एन० सी० ए० (4)/7/92-93 दिनांक 29-2-93, के सम्बन्ध में चार्टर्ड प्राण लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अंतर्गत में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करने हुए

भारतीय चार्टर्ड प्राण लेखाकार संस्थान परिवर्ण ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके भागों की गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

| क्रम सं० | सदस्यता संख्या | नाम एवं पता  | दिनांक  |
|----------|----------------|--|---------|
| 1        | 2              | 3  | 4       |
| 1        | 4669           | श्री डी० शिवाजी,<br>ए० सी० ए०,<br>2 श्री फोर्ट रोड,<br>नई दिल्ली-110049  | 26-4-94 |
| 2        | 5790           | श्री भरविन्द बाबूराव सूतें,<br>ए० सी० ए०,<br>10, आनन्द बेन, ए/6, पश्चिम बिहार,<br>नई दिल्ली-110063                 | 18-5-94 |
| 3        | 6812           | श्री सुरेन्द्र लाल बाबा,<br>ए० सी० ए०,<br>केयर आफ मेट्रोपोलिटन स्कूल,<br>पी० एम० बाक्स, 33618, लुसाका,<br>जाम्बिया | 15-9-94 |

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल 1995

सं० ए-33/15/1/90-नि० वि० (मु०)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (2-क) के साथ पठित धारा 97 की उपधारा (1) और धारा 17 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप नर्सिंग के पद पर भर्ती की पद्धति को नियमित करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम एतद्वारा विनियमित विनियम बनाता है, अर्थात्,

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इस्तरार किया है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, अथवा
- (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का इस्तरार किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि निगम के महानिदेशक इस बात से सन्तुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या विवाह की दूसरी पार्टी पर लागू 'व्यक्तिक कानून' के अन्तर्गत अनुमोद्य है या ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस विनियम से छूट दे सकते हैं।

5 ढील वने की शक्ति :—इहाँ निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना अनिवार्य है या कालोचित है तो वे कारणों को लेखबद्ध करके तथा केन्द्रीय सरकार का विनिर्दिष्ट पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी के सम्बन्ध में इन विनियमों के किसी उपबन्ध में आदेश द्वारा ढील दे सकते हैं।

6 अवशिष्ट मामले :—इन विनियमों के उपबन्धों के अधधीन, निगम के तदनुसूची श्रेणी के पदों पर लागू सभी विनियम और अनुदेश इन विनियमों के साथ सम्बद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

7 अपवाद :—इन विनियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों तथा दूसरे विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—

1. ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नर्सिंग अधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 कहे जाएंगे।

2. ये शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. संख्या, वर्गीकरण तथा बतनमान :—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे सम्बद्ध बतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2, 3 और 4 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

3. उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ तथा उक्त पदों में सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कालम 5 से 14 में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे।

## 4. अपांग्यता :—

कुछा कोर्ष व्यक्ति :—

ललित परिष्कार  
महानिर्देशक

## अनुसूची

उप नर्सिंग अधीक्षक के पद के भर्ती नियम

| पद का नाम          | पदों की संख्या | वर्गीकरण  | बतनमान (रुपये)                       | क्या बतन पद है अथवा गैर- बतन | सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा | क्या सेवा के जोड़े गए बतनों को ध्यान में रखा जायेगा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ |
|--------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|
|                    |                |           | 4                                    | 5                            | 6                           | 7   | 8   |
| उप नर्सिंग अधीक्षक | 04*            | ग्रुप "ब" | 2000-60-                             | चयन                          | लागू नहीं                   | लागू नहीं   | लागू नहीं   |
|                    |                | अलिपिकीय  | 2300-२० रो०-<br>75-3200-<br>100-3500 |                              |                             |   |   |

\* (1995)

कार्य भार वाघार  
पर परिवर्तनीय

**इस अनुसूची को दिनांक 20.07.1996 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पुनर्स्थापित किया गया है।**

| क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नत व्यक्तियों के मामले में भी लागू होंगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/स्वानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्वानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे शैक्षिक/प्रतिनियुक्ति / स्वानांतरण किया जाएगा।   | यदि विभागीय पदोन्नति संचालित है तो उसका मठन क्या है।  | परिस्थितियों, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक किया जाना है। |
|---|-------------------------------|--|---|---|---|
| 9   | 10                            | 11   | 12  | 13  | 14  |
| लागू नहीं   | 2 वर्ष                        | पदोन्नति   | सहायक न सिंग अधीक्षक ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा वाले<br><br>टिप्पणी—जहां अर्हकता पात्रता पूरी कर लेने वाले कनिष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया जा रहा हो तो उनके बरिष्ठ व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते, उनकी अपेक्षित अर्हकता वालता सेवा में एक वर्ष से अधिक की कमी न हो और परिवीक्षाधीन अवधि, यदि हो, सकलतापूर्वक पूरी कर ली हो। | पदोन्नति पर विचार करने के लिए ग्रुप "ख" विभागीय पदोन्नति समिति<br><br>1. चिकित्सा आयुक्त अध्यक्ष<br>2. निदेशक (चि०) मुख्यालय सदस्य<br>3. चिकित्सा अधीक्षक नसिंग अधीक्षक, क० रा० बी० अस्पताल, बसईवालापुर : सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।  |

**क्षेत्रीय कार्यालय**

गुवाहाटी-21, दिनांक 25 अप्रैल 1995

सं० 43 वी० 34/11/75-स्था०—यह अधिसूचित किया जाता है कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विधियम, 1950 के विनियम 10-क के अन्तर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र में तेजपुर के लिये इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 43 वी० 34/11/75-स्था० दिनांक 15-3-90 द्वारा गठित स्थानीय समिति का निम्न प्रकार पुनर्गठन किया गया है :—

अध्यक्ष

विनियम 10-क (1) (क) के अन्तर्गत

सहायक श्रम आयुक्त, तेजपुर, डोकबर तेजपुर, जिला शोनीतपुर।

सदस्य

विनियम 10-क (1) (ख) के अन्तर्गत

मुख्य चिकित्सा तथा स्वास्थ्य अधिकारी जिला शोनीतपुर, डोकबर-तेजपुर।

विनियम 10-क (1) (ग) के अन्तर्गत

प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, गुवाहाटी या उसके द्वारा नामित कोई अन्य चिकित्सा अधिकारी।

विनियम 10-क (1) (घ) के अन्तर्गत

- श्री रवि चौधरी, कार्याकारी निदेशक मैसर्स ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज डोकबर तेजपुर।
- श्री रतन मालानी, ओकूपाइर, मैसर्स असम काटन मिल्स डोकबर चारझार, जिला शोनीतपुर।

विनियम 10-क (1) (ङ) के अन्तर्गत

- श्री माली राम संकिया, ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज, कर्मचारी संघ तेजपुर।
- श्री अतुल बोरा, सचिव, असम काटन मिल्स कर्मचारी संघ, डोकबर चारझारा, जिला शोनीतपुर। सचिव

विनियम 10-क (1) (च) के अन्तर्गत

प्रबन्धक, स्थानीय कार्यालय, क० रा० बीमा निगम, तेजपुर।

आदेशानुसार

तपन कुमार भट्टाचार्य  
क्षेत्रीय निदेशक

## EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 1st April 1995

No. N-15/11/10,94-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46 (2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1-4-95 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

- (i) "The areas falling within the revenue villages of Bheemumpatnam, Valanda Bhumulu, Kummarapalem, Chippada, Amanam, Annavaram, Mulakuddu, Dakamaru, Bodamettapalem, Majjivalasa, Singanabanda, Thatituru, Nagarapupalem, Sangivalasa, Thallavalasa Jayathivani Agraharam in Bheemuni-patnam mandal in Visakhapatnam District.
- (ii) "The areas falling within the revenue villages of Anandapuram, Peddipalem, Vellanki, Vemulavalasa, Lodagalavanpalem in Anandapuram mandal in Visakhapatnam District".
- (iii) "The areas falling within the revenue villages of Polipalli, Mapada, Rajapulova, Ravada, Savara Vjli, Lingavalasa in Bhogapuram mandal and revenue villages of Modavalasa in Denkada mandal of Vijayanagaram District".

S. N. TIWARI  
Director (P&D)

The 25th April 1995

No. A-33/15/1/90-DM(HQ).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section-97 read with Sub-Section (2A) of the same section and sub section (3) of Section 17 of the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dy. Nursing Superintendent in the ESI Corporation, namely;

## 1. Short title and commencement :—

1. These Regulations may be called the ESI Corporation (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment Regulation, 1995.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay :—The number of the said post, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2, 3 and 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. Method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in Column 5 to 14 of the said Schedule.

## 4. Disqualifications—No person :—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

Shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Director General of the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax—Where the Director General of the Corporation is of opinion that it is necessary or expedient so to do, she may by order, for reasons to be recorded in writing and after taking the prior approval of the Central Government relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. Residuary matters :—Subject to the provisions of these regulations, all regulations and instructions applicable to the corresponding category of posts in the Corporation shall apply to the posts specified in the Schedule annexed to these regulations.

7. Savings :—Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Govt. from time to time in this regard.

LALIT PARIYAR  
Director General

## SCHEDULE

## Recruitment Rules for the Post of Deputy Nursing Superintendent

| Name of Post                  | No. of Post | Classification          | Scale of pay (Rs.)               | Whether selection or Non-selection posts | Age limit for direct Recruits | Whether benefit of added yrs. of service admissible | Educational & other Qualification Reqd. for direct recruits | Whether age & Eq. Prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---|---|--|
| 1                             | 2           | 3                       | 4                                | 5  | 6                             | 7   | 8   | 9  |
| Deputy Nursing Superintendent | *4          | Group B Non-Ministerial | 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 | Selection                                | N.A.                          | N.A.  | N.A.  | N.A.   |

\*(1995)

Subject to variation dependent on workload.

This Schedule has been substituted vide notification published on 20.07.1996.

| 10                     | 11  | 12   | 13   | 14  |
|------------------------|---|--|--|---|
| Period of Prob. if any | Method of Rectt. whether by direct Rectt. or by promotion or by deputation/Transfer & % of the vacancy to be filled by various methods. | In case of Rectt. by promotion/Deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.  | If a DPC exists what is its composition  | Circumstances in which U.P.S.C to be consulted in making Rectt. |
| 2 Years                | Promotion   | Promotion<br><br>Assistant Nursing Superintendent with two years regular service in the grade<br>Note : Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. | Group 'B' DPC for considering promotion<br><br>1. Medical Commission : Chairman.<br>2. Director (M) Hqs. : Member<br>3. Medical Supdt./Nursing Supdt., ESI Hospital, Basaidrapur : Member. | Consultation with UPSC not necessary                            |

## REGIONAL OFFICE

Guwahati-21, the 25th April, 1995

No. 43-V. 34/11/75-Estt. :—It is hereby notified that the Local Committee Tezpur set up vide this office Notification No. 43-V. 34/11/75-Estt. dated 15-3-90 for Tezpur area, North Region under Regulation 10-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 has been re-constituted as under :—

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <i>Chairman</i>               |   |
| Under Regulation 10-A (1) (a) | The Asstt. Labour Commissioner, Distt. Sonitpur, P. O. Tezpur   |
| <i>Members</i>                |   |
| Under Regulation 10-A (1) (b) | The Chief Medical & Health Officer, Distt. ; Sonitpur, P. O. Tezpur   |
| Under Regulation 10-A (1) (c) | The Administrative Medical Officer ESI Scheme, Assam, Gawahati or any other medical officer nominated by him.   |
| Under Regulation 10-A (1) (d) | 1. Sri Rabi Chowdhury, Executive Director, M/s. Trade & Industries, Tezpur.<br>2. Sri Ratan Malani, Occupier M/s. Assam Cotton Mills, P. O. Charduar, Distt. ; Sonitpur   |
| Under Regulation 10-A (1) (e) | 1. Sri Mali Ram Saikia, Trade & Industries Employees Union P. O. Tezpur<br>2. Sri Atul Borah, Secretary Assam Cotton Mills Workers Union, P. O. Charduar, Distt. Sonitpur |
| <i>Secretary</i>              |   |
| Under Regulation 10-A (1) (f) | The Manager, E. S. I. Corporation, Local Office, Tezpur   |

By order

T. K. BHATTACHARYYA  
Regional Director



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 20, 1996 आषाढ़ (29, 1918)  
No. 29] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 20, 1996 (ASADHA 29, 1918)

इस भाग में अलग पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांख्यिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूत्राएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग

मुम्बई, दिनांक 20 जून 1996

पैराग्राफ 7 के स्वतंत्र पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वाणिज्यिक पत्र के जरिए उगाही जाने वाली कुल राशि, बैंक/बैंकों द्वारा किसी ऐसी जारीकर्ता कम्पनी, जिसका प्रविष्टतम अनुमत बैंक बिल 20 करोड़ रुपए से कम आंका गया हो, को स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमाओं के नकदी ऋण घटक के पचहत्तर प्रतिशत अधिक नहीं होगी। जिस जारीकर्ता कम्पनी का अधिकतम अनुमत बैंक बिल 20 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक आंका गया हो, उसके सम्बन्ध में वाणिज्यिक पत्र के जरिए उगाही जाने वाली कुल राशि बैंक/बैंकों द्वारा स्वीकृत कार्यशील पूंजीगत (निधि आधारित) सीमाओं के नकदी ऋण घटक के सी प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।”

सं० औनिऋवि/12/08.15.01/95-96—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, इस विषय में सन्तुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा निवेश जारी करता है कि “गैर बैंकिंग कम्पनी (वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जमा राशियों की स्वीकृति) निदेशावली, 1989” (यथा संशोधित) को निम्नलिखित ढंग से तत्काल संशोधित कर दिया जाए, अर्थात् :—

वी० सुब्रमण्यम,  
कार्यपालक निदेशक

| 1    | 2      | 3  | 4       |
|------|--------|--|---------|
| 183. | 203274 | श्री चन्द्रासेकरन एस्,<br>ए० सी० ए०,<br>मैनेजर कोटक महिन्द्रा फाइनेन्स लि०<br>414, मिमर्वा काम्प्लेक्स, 94,<br>सरोजिनी देवी रोड,<br>सिकन्दराबाद-500003.                        | 1-10-95 |
| 184. | 203287 | श्री चन्द्रा सेखरा रेडडी विन्या,<br>ए०सी० ए०,<br>बार्टेंड एकाउन्टेन्ट,<br>39 बैंकटन स्ट्रीट,<br>ए4 विष्णुप्रिया अपार्टमेंट्स,<br>छे नगर,<br>मद्रास-600017.                     | 1-10-95 |
| 185. | 203553 | श्री राहुल मल्लिक,<br>ए० सी० ए०,<br>1255, यूनिवर्सिटी एबेन्यु,<br>एपीटी 127 मंगलेश्वरी,<br>सी० ए०-95825, यू० एस० ए०  | 1-10-95 |
| 186. | 203604 | श्री जेम्स जॉन्स,<br>ए० सी० ए०,<br>बार्टेंड एकाउन्टेन्ट,<br>211 (गोल्ड नं० 741),<br>श्रीलक्ष्मी रोड, कोकम टाउन,<br>बंगलोर-560005.  | 1-10-95 |
| 187. | 203688 | मि० राज्या लक्ष्मी बी,<br>ए० सी० ए०,<br>बार्टेंड एकाउन्टेन्ट,<br>नं० 11 (आर्डीएफएल),<br>भनासुया खूमश स्ट्रीट,<br>नागर्जुना नगर 2 स्ट्रीट,<br>रंगाराजापुरम,<br>मद्रास-600024.   | 1-10-95 |
| 188. | 203888 | श्री वैकटेश्वरलु ए,<br>ए० सी० ए०,<br>बार्टेंड एकाउन्टेन्ट,<br>केथर ओफ, रंगप्पा बी० पी०<br>एन० ए० ए० बाल्डी, नं० 39,<br>अपोजिट वगानी टेम्पल,<br>बी० बी० पुरम,<br>बंगलोर-560004. | 1-10-95 |

| 1    | 2      | 3  | 4       |
|------|--------|--|---------|
| 189. | 204010 | श्री बेंकटा हण्णन एम,<br>ए० सी० ए०,<br>नं० 18 दामोदरन स्ट्रीट,<br>टी० नगर,<br>मद्रास-600017. | 1-10-95 |

ए० के मजुमदार  
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

दिनांक 14 जुलाई, 1996

संख्या : ए-33 (15)/95—वि० वि० (मु०) : कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 17 की उप धारा (3) तथा उसी धारा की उप धारा 2 (क) के साथ पठित धारा 97 की उप धारा (1) के द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नसिंग अधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 के अधिकरण में, ऐसे अधिकरण से पूर्व किए गए अथवा करने से छूट गए कार्यों को छोड़कर, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी राज्य बीमा निगम में (उप नसिंग अधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 को संशोधन करके कर्मचारी राज्य बीमा निगम में उप नसिंग अधीक्षक के पद पर भर्ती पद्धति विनियमित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप नसिंग अधीक्षक पद भर्ती विनियम, 1995 को धोर संशोधित करते हुए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(i) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नसिंग अधीक्षक) भर्ती (संशोधन) विनियम, 1996 कहे जाएंगे।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (उप नसिंग अधीक्षक) भर्ती विनियम, 1995 के साथ अनुबद्ध अनुसूची को उप नसिंग अधीक्षक के पद के संबंध में इन विनियमों के साथ अनुबद्ध अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

हस्ताक्षर  
पुरेन्द्र कुमार शर्मा  
महानिदेशक

### अनुसूची

उप नसिंग अधीक्षक के पद के भर्ती विनियम

| पद का नाम        | पदों की संख्या | वर्गीकरण                  | वेतनमान   | क्या अथवा पद है अथवा गैर अथवा |
|------------------|----------------|---------------------------|---|-------------------------------|
| 1                | 2              | 3                         | 4   | 5                             |
| उप नसिंग अधीक्षक | 04*            | गुप "ख"<br>गैर अनुसूचितीय | र० 2000-60-2300-<br>र० रो०-75-3200-100-<br>3500/- | अथवा                          |

\*(1996) कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय

|  |   |   |
|--|---|---|
| क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम-30 के अधीन सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ पद पर स्वीकार्य है  | सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा  | सीधी भर्ती के व्यक्तियों के लिए अर्थात् वैशिक्षक तथा अन्य योग्यताएं   |
| 6  | 7   | 8   |
| लागू नहीं  | लागू नहीं   | लागू नहीं   |
| क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और वैशिक्षक योग्यताएं पदोन्नति व्यक्तियों पर भी लागू होंगी।  | परिशीक्षा की अवधि   | भर्ती की पद्धति—क्या सीधी भर्ती द्वारा/या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती जन्म वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
| 9  | 10  | 11  |
| लागू नहीं  | 2 वर्ष  | पदोन्नति  |
| पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जाएगी   | यदि विश्वीय पदोन्नति समिति है तो उक्त गठन किया है।  | परिस्थितियों जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना होगा।  |
| 12   | 13  | 14  |
| पदोन्नति   | ग्रुप "ख" : पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति  | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक   |
| ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक नर्सिंग अधीक्षक टिप्पणी : जहाँ कनिष्ठ में अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली हो वे पदोन्नति के पात्र हैं, उनके वरिष्ठ पर भी विचार किया जा सकेगा बशर्ते उनकी अर्हक/पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न पड़ती हो और यदि विनिर्धारित हो, उन्होंने परिशीक्षा अवधि पूरी कर ली हो। | 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग : अध्यक्ष<br>2. चिकित्सा आयुक्त : सदस्य<br>3. निदेशक (चिकित्सा) मुख्यालय : सदस्य<br>4. चिकित्सा अधीक्षक/नर्सिंग अधीक्षक, क० रा० बी० अस्पताल, बसईवारापुर : सदस्य |   |

टिप्पणी : प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र दिनांक 27-5-1995 की धारा 4 के भाग 3 में अधिबूचना संख्या ए०-33(15)/1/90-नि० वि० (मु०) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।



| 1   | 2      | 3  | 4        | 1   | 2      | 3   | 4        |
|-----|--------|--|----------|---|--------|---|----------|
| 170 | 201629 | Mr. Subramanian K ACA,<br>Flat No. 606, Om Saidham<br>Hsg. Society,<br>Sector 17,<br>Vashi,<br>New Bombay-400 703.                       | 01/10/95 | 183   | 203274 | Mr. Chandrasekaran S ACA,<br>Manager, Kotai Mahindra<br>Finance Ltd.,<br>414, Minerva Complex,<br>94, Sarojini Devi Road,<br>Secunderabad-500 003.        | 01/10/95 |
| 171 | 201818 | Mr. Senthil Nathan T ACA,<br>Chartered Accountant,<br>1/9 Ulsoor Road,<br>Hanumanthappa Layout,<br>Bangalore-560 042.                    | 01/10/95 | 184   | 203287 | Mr. Chandra Sekhara Reddy<br>Vintha ACA,<br>Chartered Accountant,<br>39, Venkatesan Street,<br>A4, Vishnupriya Apartment,<br>T Nagar,<br>Madras-600 017.  | 01/10/95 |
| 172 | 201936 | Mr. Reginald H J<br>Rosario ACA,<br>L-68 Sector XI,<br>9-B, Main Jeevanbhima Ngr.,<br>Hal III Stage,<br>Bangalore.                       | 01/10/95 | 185   | 203553 | Mr. Rahul Mallik ACA,<br>1255 University AVE,<br>Apt 127, Sacramento,<br>CA 95825,<br>USA.  | 01/10/95 |
| 173 | 202040 | Ms. Beena Philip ACA,<br>Tharayil House,<br>Janatha Road,<br>Vyttila PO,<br>Cochin-682 019.  | 01/10/95 | 186   | 203604 | Mr. James Joseph ACA,<br>Chartered Accountant,<br>211 (Old No. 74) Wheeler Road,<br>Cox Town,<br>Bangalore-560 005.                                       | 01/10/95 |
| 174 | 202081 | Mr. John Michael Raj<br>G ACA,<br>Chartered Accountant,<br><br>343, I loor,<br>Arcot Road,<br>Kodambakkam,<br>Madras-600 024.            | 01/10/95 | 187   | 203688 | Ms. Rajya Lakshmi V ACA,<br>Chartered Accountant,<br>No. 11 (IFL) Anasuya Street,<br>Nagajuna Nagar II Street,<br>Rangarajapuram,<br>Madras-600 024.      | 01/10/95 |
| 175 | 202245 | Mr. Anand Ch ACA,<br>Chartered Accountant,<br>Sreenivasa Apartments,<br>Flat No. 6 Raj Bhavan Road,<br>Somajiguda,<br>Hyderabad-500 482. | 01/10/95 | 188   | 203888 | Mr. Venkateswarlu A ACA,<br>Chartered Accountant,<br>C/o Rangappa B P,<br>N A A Choultry, No. 39,<br>Opp. Vasavi Temple, V V Puram,<br>Bangalore-560 004. | 01/10/95 |
| 176 | 202270 | Mr. Sabesan S ACA,<br>A5/65 BDA Layout,<br>Domlur IIInd Stage,<br>Bangalore-560 071.   | 01/10/95 | 189   | 204010 | Mr. Venkata Krishnan S<br>ACA,<br>No. 18 Damodaran Street,<br>T Nagar,<br>Madras-600 017.   | 01/10/95 |
| 177 | 202282 | Mr. Varadarajan T K ACA,<br>309-A Nethaji Street,<br>Thiruvangapuram,<br>Ponneri-601 204.  | 01/10/95 | A. K. MAJUMDAR<br>Secretary   |        |   |          |
| 178 | 202413 | Mr. Rajasekhar Reddy<br>J V ACA,<br>P O Box 50364,<br>Dubai,<br>U A E.   | 01/10/95 | EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  |        |   |          |
| 179 | 202509 | Mr. Boyapati Kesava<br>Rao ACA,<br>8-3-677/62/1,<br>Plot No. 9 Navodayanagar,<br>Yellareddy Guda,<br>Hyderabad-500 873.                  | 01/10/95 | No. A-33(15)/1/95-DM(HQ).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 97 read with sub-section (2A) of the same section and sub-section (3) of Section 17 of E.S.I. Act, 1948 and in supersession of E.S.I. Corporation (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment Regulations, 1995 so far as this relates to the post of Dy. Nursing Superintendent except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes, with the approval of the Central Government, the following regulations further to amend the (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment Regulations, 1995 regulating the method of recruitment to the post of Dy. Nursing Superintendent in E.S.I. Corporation namely: |        |   |          |
| 180 | 202950 | Mr. Sudarshan R ACA,<br>6th Floor Sakthi Towers,<br>Anna Salai,<br>Madras-600 002.   | 01/10/95 | 1. Short title and commencement:  |        |   |          |
| 181 | 203058 | Mr. Chandra Sekaran S<br>ACA,<br>Chief Accountant Gulf Trading Corpn.<br>P O Box 4,<br>Alkhubar,<br>Saudi Arabia.                        | 01/10/95 | (i) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment (Amendment) Regulations, 1996.  |        |   |          |
| 182 | 203236 | Mr. Prakash P ACA,<br>C/o The Vysya Bank Limited,<br>Audit & Vigilance Department,<br>A O No. 489 Avenue Road,<br>Bangalore-560 002.     | 01/10/95 | (ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.   |        |   |          |
|     |        |  |          | 2. The schedule annexed to the Employees State Insurance Corporation (Dy. Nursing Superintendent) Recruitment Regulations, 1995 shall be substituted by the schedule annexed to these regulations in respect of the post of Dy. Nursing Superintendent.   |        |   |          |
|     |        |  |          | S. K. SHARMA<br>Director General  |        |   |          |

## SCHEDULE

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. NURSING SUPERINTENDENT

| Name of Post                                       | No. of Post   | Classification  | Scale of Pay                         | Whether selection or non-selection post | Age limit for Direct recruits   | Whether benefit of added yrs. of service admissible | Educational & other qualification required for direct recruits  | Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotees |
|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4                                    | 5                                       | 6   | 7   | 8   | 9  |
| Deputy Nursing Superintendent                      | 04*   | Group 'B' Non-ministerial   | Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500 | Selection                               | N.A.  | N.A.  | N.A.  | N.A.   |
| *(1996) Subject to variation dependent on workload |   |   |                                      |   |   |   |   |  |
| Period of probation if any                         | Method of recruitment whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/transfer & % of the vacancy to be filled by various methods | In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made  |                                      |   | If A DPC exists what is its composition   |   | Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt. |  |
| 10   | 11  | 12  |                                      |   | 13  |   | 14  |  |
| 2 Years  | Promotion   | Promotion<br><br>Assistant Nursing Superintendent with two years regular service in the grade.<br><br>Note : Where Junior who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion their Seniors will also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed. |                                      |   | Group 'B' D.P.C. for considering promotion<br><br>1. Chairman/Member. UPSC<br>: Chairman<br>2. Medical Commissioner<br>: Member<br>3. Director (M) Hqrs.<br>: Member<br>4. Medical Superintendent/<br>Nursing Superintendent,<br>E.S.I. Hospital,<br>Basaidarapur<br>: Member |   | Consultation with UPSC necessary                                |  |

Note : The Principal regulations were published vide notification No. A-33(15)/1/90-DM(HQ) in Part-III Section 4 of Gazette of India, dated 27-5-1995.